

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 101/14

संस्थापन दिनांक:-17/02/14

फाईलिंग नं. 233504000802014

मध्यप्रदेश राज्य
द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रु द्ध

ठोटा पिता श्यामलाल यादव
उम्र 62 वर्ष, निवासी डोडावानी,
थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

—: (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 23.01.2018 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 294, 323, 336, 506 भाग-दो भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 24.01.2014 को समय 05:00 बजे शाम या उसके लगभग प्रार्थिया का खेत का मकान ग्राम डोडावानी, थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत लोक स्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित किए जिससे फरियादी सुनिताबाई और अन्य को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी को हाथ थप्पड़ से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की एवं उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्ण तरीके से पत्थर फेंककर उसे मारकर वैयक्ति क्षेम संकटापन्न किया तथा फरियादी सुनिताबाई को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी ने दिनांक 24.01.2014 को उसकी गाय के बछड़े को मेड़ पर बांध दिया था। तभी शाम करीब 5 बजे अभियुक्त आया और मेड़ पर बछड़ा क्यों बांधा है कहकर उसे मादरचोद बहनचोद की गंदी गंदी गालियां देने लगा। फरियादी द्वारा अभियुक्त को गाली देने से मना करने पर अभियुक्त ने उसे पत्थर से कमर में मारा जिससे वह गिर गयी। अभियुक्त ने उसे सिर के बाल पकड़कर हाथ मुक्का से पीठ पर मारा। अभियुक्त ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्र. 71/14 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। फरियादी का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश

किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

1. क्या घटना के समय अभियुक्त ने फरियादी को अश्लील शब्द उच्चारित किये थे ?
2. क्या अश्लील शब्दों का उच्चारण लोक स्थान अथवा उसके समीप किया गया था ?
3. क्या इससे उसे एवं अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित हुआ था ?
4. क्या घटना के समय अभियुक्त ने फरियादी सुनिताबाई को हाथ थप्पड़ से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की?
5. क्या घटना के समय अभियुक्त ने उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्ण तरीके से पत्थर फेंककर फरियादी को मारकर वैयक्ति क्षेम संकटापन्न किया ?
6. क्या ऐसा गंभीर व अचानक प्रकोपन से अन्यथा स्वेच्छया किया गया ?
7. क्या अभियुक्त ने फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित किया था ?
8. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

विचारणीय प्रश्न क. 01, 02, 03 एवं 07 का निराकरण

5 सुनिता (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में प्रकट किया है कि घटना के समय अभियुक्त ने उसे गंदी-गंदी गालियां दी थी। इस संबंध में

साक्षी मुन्ना (अ.सा.-2) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में व्यक्त किया है कि अभियुक्त ने उसकी पत्नी को गंदी गंदी गालियां दी थी।

6 साक्षी/फरियादी सुनिता (अ.सा.-1) एवं मुन्ना (अ.सा.-2) ने अपने न्यायालयीन कथनों में अभियुक्त द्वारा घटना के समय गंदी-गंदी गालियां दी जाना बताया है परंतु साक्षीगण ने स्पष्ट रूप से यह प्रकट नहीं किया है कि अभियुक्त द्वारा किन-किन शब्दों का उच्चारण किया गया था। अतः अभिलेख पर ऐसे शब्दों के अभाव में उनके प्रभाव का निर्धारण नहीं किया जा सकता। इस संबंध में न्याय दृष्टांत बंशी विरुद्ध रामकिशन 1997 (2) डब्ल्यू.एन. 224 अवलोकनीय है जिसमें प्रतिपादित विधि अनुसार केवल गालियां दी जाना इस अपराध को घटित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। फलतः धारा 294 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

7 अभियुक्त द्वारा घटना के समय फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने के संबंध में किसी भी अभियोजन साक्षी ने अपने न्यायालयीन कथनों में कोई कथन नहीं किये हैं। अतः साक्ष्य के नितांत अभाव में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 506 भाग-दो भा0दं0सं0 के आरोप प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

विचारणीय प्रश्न क. 04, 05 एवं 06 का निराकरण

8 सुनिता (अ.सा.-1) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्त खेत में मेड़ पर बैल बांधने की बात पर से उसके घर के सामने आकर झगड़ने लगा और घर में पत्थर फेंककर मारा जो उसकी कमर में लगा। मुन्ना (अ.सा.-2) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि उसकी पत्नी ने उसे यह बताया था कि अभियुक्त ने मेड़ पर बैल बांधने की बात पर से उससे झगड़ा किया था और घर पर पत्थर फेंककर मारा था जो उसकी पत्नी की कमर पर लगा था।

9 डॉ. एन.के. रोहित (अ.सा.-3) ने दिनांक 25.01.2014 को सीएचसी आमला में बीएमओ के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को आहत सुनिता का परीक्षण किये जाने पर आहत की पीठ पर दर्द पाया था। साक्षी ने उसके द्वारा दी गयी एलएलसी रिपोर्ट (प्रदर्श पी-6) को प्रमाणित भी किया है।

10 जी.पी. रम्हारिया (अ.सा.-5) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में दिनांक 25.01.2014 को थाना आमला में सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को अपराध क्र. 71/14 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर घटना स्थल का मौका नक्शा (प्रदर्श प्री-4) तथा उक्त दिनांक को ही अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श प्री-5) का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया जाना प्रकट करते हुए उक्त दस्तावेजों को प्रमाणित भी किया है।

11 बचाव अधिवक्ता का तर्क है कि किसी भी स्वतंत्र साक्षी ने घटना का समर्थन नहीं किया है। उभयपक्ष के मध्य पूर्व से जमीनी विवाद है। फरियादी सुनिता ने अभियोजन के अनुरूप कथन नहीं किये हैं जिससे अभियोजन कहानी में संदेह उत्पन्न होता है जिसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना चाहिए। जबकि अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित होने का तर्क प्रकट किया है।

12 बचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में कैलाश (अ.सा.-3) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि घटना के समय वह बस्ती से घर की ओर जा रहा था। तभी उसने देखा कि दोनों पक्षों के बीच में विवाद हो रहा है। श्याम (अ.सा.-4) ने घटना की कोई भी जानकारी न होना प्रकट किया है। उपर्युक्त दोनों साक्षीगण से अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षीगण ने अभियोजन के समर्थन में कोई भी तथ्य प्रकट नहीं किये हैं। फलतः उपर्युक्त साक्षीगण से अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

13 मुन्ना (अ.सा.-2) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि उसे घटना की जानकारी उसकी पत्नी ने दी थी। उसकी पत्नी सुनिता ने बताया था कि अभियुक्त ने उसके साथ विवाद किया, घर पर पत्थर फेंककर मारा जो उसकी पत्नी की कमर में लगा। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि घटना उसके समक्ष नहीं हुई थी। अभियुक्त ने उसके सामने उसकी पत्नी को न तो मारपीट किया और न ही पत्थर मारते उसने देखा। मेड़ को लेकर दोनों पक्षों के बीच में पहले से विवाद है। घटना के समय उसकी पत्नी के अलावा कोई नहीं था। इस प्रकार यह साक्षी अनुश्रुत साक्षी है जिससे इस साक्षी के कथनों से भी अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

14 अभिलेख पर मात्र आहत/फरियादी सुनिता (अ.सा.-1) की साक्ष्य उपलब्ध है। जिसके संबंध में यह उल्लेखनीय है कि आहत घटना का सर्वोत्तम साक्षी होता है। अतः सुनिता (अ.सा.-1) के कथनों से यह देखा जाना है कि उसके कथनों पर विश्वास कर अभियोजन के मामले को प्रमाणित माना जा सकता है अथवा नहीं ?

15 सुनिता (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन कथनों में बताया है कि अभियुक्त ने मेड़ पर बैल बांधने की बात को लेकर घर के सामने आकर झगड़ा किया। अभियुक्त ने उसके घर पर पत्थर फेंककर मारा जो उसकी कमर में लगा। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि अभियुक्त और उसके बीच खेत की मेड़ को लेकर पहले से ही विवाद चला आ रहा है। यदि अभियुक्त मेड़ पर से विवाद नहीं करता तो वह रिपोर्ट नहीं करती। यदि अभियुक्त मेड़ का विवाद नहीं करे तो वह उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहती है।

16 अभियोजन कथा अनुसार मेड़ की बात पर से अभियुक्त ने पत्थर उठाकर फरियादी की कमर पर मारा और उसके बाद हाथ मुक्के से उसकी मारपीट की। आहत के चिकित्सकीय परीक्षण में आहत को कोई भी बाहरी चोट नहीं पायी गयी। मात्र पीठ में दर्द होना पाया गया। उभयपक्ष के मध्य रंजिश होने का तथ्य स्थापित है। फरियादी सुनिता ने अभियोजन कथा के अनुरूप न्यायालय में कथन नहीं किये हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट में फरियादी ने अभियुक्त के द्वारा पत्थर उठाकर सीधे उसकी कमर में मारना बताया है। जबकि मुख्य परीक्षण में अभियुक्त के द्वारा घर पर पत्थर फेंका जाना बताया है। उपर्युक्त परिस्थितियों में अभियोजन कथा में संदेह उत्पन्न होता है जिसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

विचारणीय प्रश्न क. 08 का निराकरण

17 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर लोक स्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित किए जिससे फरियादी सुनिताबाई और अन्य को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी को हाथ थप्पड़ से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की एवं उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्ण तरीके से पत्थर फेंककर उसे मारकर वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न किया तथा फरियादी सुनिताबाई को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। फलतः अभियुक्त ठोटा यादव को भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 323, 336, 506 भाग-दो के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

18 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

19 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रालिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)